भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **3490** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 13 मार्च, 2026/22 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाना है

पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति

†3490. श्री प्रवीण पटेल :
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
श्रीमती पूनमबेन माडम :
श्री अमर शरदराव काले :
डॉ. संजय जायसवाल :
श्री हरीभाई पटेल :
श्री जनार्दन मिश्रा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति जिसके अंतर्गत भारतीय पोत निर्माण कारखानों को ऋण गारंटी और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रावधान के अन्तर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है;
(ख) उक्त नीति के अंतर्गत निर्णीत संविदाओं की संख्या कितनी है;
(ग) कुल ऑर्डर बुक मूल्य कितना है और इसके अंतर्गत शामिल पोतों के प्रकार क्या हैं;
(घ) अब तक कितनी वित्तीय सहायता संवितरित की गई है, साथ ही उक्त नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले पोत निर्माण कारखानों की संख्या कितनी है;
(ङ) क्या सरकार ने घरेलू पोत निर्माण पुनरुद्धार, रोजगार सृजन और समुद्री क्षेत्र में देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर पड़ने वाले उक्त नीति के प्रभाव का कोई आकलन किया है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (घ): पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के अंतर्गत, अब तक 456 जलयानों को कवर करते हुए 19,748 करोड़ मूल्य के कुल 288 अनुबंधों को सैद्धांतिक अनुमोदन मिल चुका है। कवर किए गए जलयानों के प्रकार में टग, सामान्य कार्गो जलयान, बल्क वाहक, तेल टैंकर, क्रेन पोंटून, भारी डेक कार्गो जलयान, रो-रो पैक्स जलयान, कर्मीदल नाव, डेक लोडिंग क्राफ्ट, तटीय अनुसंधान जलयान,

मॉड्यूलर पोंटून, यात्री कैटामरैन, यात्री सह मोटर साइकिल नौका, यात्री नौका, लैंडिंग क्राफ्ट, जैक-अप बार्ज और सेल्फ एलिवेटिंग प्लेटफार्म शामिल हैं।

अब तक 204 जलयानों के निर्माण और उनकी डिलीवरी के लिए 23 शिपयार्डों को कुल 620.57 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता संवितरित की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सितंबर, 2025 में पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) को मंजूरी दी, जिसमें उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए भारतीय शिपयार्ड को ऋण जोखिम कवरेज और ब्राउनफील्ड/मौजूदा भारतीय शिपयार्डों को पूंजी सहायता के रूप में व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के प्रावधान हैं। इसके लिए दिशानिर्देश हाल ही में जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च): 2024 में तृतीय पक्ष के माध्यम से पोत निर्माण क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में पोत निर्माण क्षेत्र के 6.4 के उच्च रोजगार गुणक तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के रोजगार सृजन की व्यापक संभाव्यता पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, इसने भारत में पोत निर्माण के विकास को बाधित करने वाली चुनौतियों जैसे घरेलू मांग की कमी, वित्तपोषण की उच्च लागत, क्षमता और प्रौद्योगिकी सीमाएं आदि पर भी प्रकाश डाला। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार ने सितंबर, 2025 में पोत निर्माण और समुद्री क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए पोत निर्माण पैकेज को मंजूरी दी जिसमें पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस), समुद्री विकास निधि (एमडीएफ) और पोत निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) शामिल हैं।
